!!कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला प्रतापगढ (राज)!!

प्रेस नोट

दिनांक 06.09.2017

ईनामी अभियुक्त लालसिह व दो अन्य अभियुक्त गिरफ्तार
14 क्विंटल 66 किलोग्राम अवैध डोडा चुरा बरामद

थाना अरनोद के प्रकरण संख्या 42/16 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट मे वांछित ईनामी अपराधी लालसिह पिता रूपसिह राजपुत निवासी रिछा की गिरफ्तारी हेतु दिनांक 05.09.17 को पुलिस टीम श्री विवेकसिंह थानाधिकारी थाना अरनोद मय पुलिस बल श्री शिवसिंह उ.नि., श्री ज्ञानचन्द उ.नि श्री मनोहरसिह उ.नि. श्री सांवरमलद हैड कानिस्टेबल, श्री रामस्वरूप हैड कानिस्टेबल, मोहरसिह हैड कानिस्टेबल, कानिस्टेबल श्री रजनीश, श्री कन्हैयालाल, श्री मोहनलाल, श्री नेमीचन्द, श्री नरेन्द्र, श्री अशोक कुमार, श्री धर्मेन्द्र, श्री भाकर, श्री रामनिवास, श्री सुरेन्द्रसिह, श्री सुन्दर, श्री विजयराज द्वारा ग्राम रिछा में दबिश दी। दबिश के दौरान रिछा ग्राम के सीमा पर बने कच्चे मकान पर ईनामी अपराधी लालसिह पिता रूपसिह राजपुत निवासी रिछा को गिरफ्तार किया। वहां पर दो अन्य व्यक्ति मोहनसिह पिता कालुसिह राजपुत निवासी रिछा, दिलीप पिता जगदीश नाई निवासी पडुनी भी थे। उसी मकान तलाशी लेने पर मकान के अन्दर अवैध डोडा चुरा प्लास्टिक के कुल 64 कटटे जिनमे अवैध अफिम डोडा चुरा कूल 14 क्विटल 66 किलोग्राम बरामद किया गया तथा तीनो अभियुक्त लालसिह, दिलीप सेन, मोहनसिह को नियमानुसार गिरफतार कर थाना अरनोद पर लाया गया तथा थाने पर धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट मे प्रकरण दर्ज किया गया। अनुसंधान अधिकारी श्री मांगीलाल विश्नोई पु.नि. थानाधिकारी प्रतापगढ द्वारा उक्त मुल्जिमों से अवैध डोडा चुरा के बारे मे गहनता से पूछताछ की जा रही है।

अभियुक्त लालसिंह के विरूद्ध जिला प्रतापगढ़ के थाना अरनोद में मादक पदार्थ की तस्करी, मारपीट, हत्या के प्रयास, सरकारी कर्मचारीयो के राजकार्य मे बाधा से सम्बन्धित जिला चुरू के थाना छापर में मादक पदार्थो की तस्करी व जिला बीकानेर के जयनारायण व्यास थाने में मादक पदार्थो की तस्करी आदि के प्रकरणों मे वांछित है।

अभियुक्त दिलीप विरूद्ध जिला प्रतापगढ़ के थाना अरनोद में मादक पदार्थ की तस्करी व हत्या के प्रयास के सम्बन्ध में व जिला चितोड़गढ़ के थाना चन्देरिया में मादक पदार्थ की तस्करी के प्रकरण में वांछित है।

पुलिस अधीक्षक
जिला प्रतापगढ (राज.)